



Welcome To You IHRSO

आपका अधिकार हमारा प्रयास

भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन (IHRSO)

Run By BSSF Trust

भारत सरकार नीति आयोग

★ द्वारा मान्यता प्राप्त ★



Helpline No. +91-6388683624

मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र

(10 दिसंबर 1948 की आम सभा संकल्प संख्या 217-ए द्वारा अनुमोदित और प्रख्यापित)

अनुच्छेद 1: हम सभी स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं:-

सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान होते हैं। वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं और उन्हें एक-दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए।

अनुच्छेद 2: भेदभाव से मुक्ति:-

प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, इस घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है। इसके अलावा, जिस देश या क्षेत्र से कोई व्यक्ति संबंधित है, उसकी राजनीतिक, न्यायिक या अंतरराष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्वतंत्र हो, ट्रस्ट हो, गैर-स्वशासित हो या संप्रभुता की किसी अन्य सीमा के अधीन हो।

अनुच्छेद 3: जीवन का अधिकार:-

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4: गुलामी से मुक्ति:-

किसी को गुलामी या गुलामी में नहीं रखा जाएगा; दासता और दास व्यापार को उनके सभी रूपों में प्रतिबंधित किया जाएगा।

अनुच्छेद 5: अत्याचार से मुक्ति:-

किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद 6: कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार:-

प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 7: कानून के समक्ष समानता का अधिकार:-

कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। इस घोषणा के उल्लंघन में किसी भी भेदभाव के खिलाफ और इस तरह के भेदभाव के लिए किसी भी उकसावे के खिलाफ सभी समान सुरक्षा के हकदार हैं।

अनुच्छेद 8: उपचार का अधिकार:-

संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कार्यों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

अनुच्छेद 9: मनमाने ढंग से हिरासत से मुक्ति:-

किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन के अधीन नहीं किया जाएगा।

3/7

अनुच्छेद 10: निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार:-

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों तथा अपने खिलाफ किसी भी आपराधिक आरोप के निर्धारण में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का पूरी तरह से हकदार है।

अनुच्छेद 11: निर्दोषता की उपधारणा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध:-

1. आपराधिक अपराध के आरोप वाले प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक मुकदमे में कानून के अनुसार दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है, जिसमें उसके पास अपनी रक्षा के लिए सभी आवश्यक गारंटी है।
2. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य या चूक के कारण दंडनीय अपराध का दोषी नहीं होगा, जो उस समय किया गया हो, जब वह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया गया हो। न ही उस दंड से अधिक भारी जुर्माना लगाया जाएगा जो दंडनीय अपराध के घटित होने के समय लागू था।

अनुच्छेद 12: निजता का अधिकार:-

किसी की निजता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या हमलों के विरुद्ध कानून की सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 13: आंदोलन की स्वतंत्रता:-

1. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में लौटने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14: शरण का अधिकार:-

1. प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने और उसका आनंद लेने का अधिकार है।
2. गैर-राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत कार्यों के मामले में इस अधिकार को माफ नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 15: राष्ट्रीयता का अधिकार:-

1. प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।
2. किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही उसे अपनी राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

4/7

अनुच्छेद 16: विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार

1. पूर्ण आयु के पुरुषों और महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना शादी करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह में, विवाह के दौरान और उसके विघटन पर समान अधिकार के हकदार हैं।
2. विवाह केवल भावी जीवनसाथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाएगा।
3. परिवार समाज की प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई है और समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा का हकदार है।

अनुच्छेद 17: संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार:-

1. हर किसी को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति का अधिकार है।
2. किसी को मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 18: धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता:-

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में किसी के धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता, और अकेले या दूसरों के साथ समुदाय में और सार्वजनिक या निजी तौर पर, शिक्षा, अभ्यास, पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद 19: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:-

प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने और किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना जानकारी और विचार प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद 20: सभा और संघ की स्वतंत्रता:-

1. प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है।
2. किसी को भी किसी संगठन से जुड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21: लोकतंत्र में एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम:-

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश में सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार है।
3. लोगों की इच्छा सरकार के अधिकार का आधार होगी, इसे आवधिक और वास्तविक चुनावों में व्यक्त किया जाएगा जो सार्वभौमिक और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान या समकक्ष स्वतंत्र मतदान प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

5/7

अनुच्छेद 22: सामाजिक सुरक्षा का अधिकार:-

प्रत्येक व्यक्ति, समाज के सदस्य के रूप में, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखता है और राष्ट्रीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हकदार है। उनकी महिमा और उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास।

अनुच्छेद 23: काम का अधिकार:-

1. हर किसी को काम करने, रोजगार के स्वतंत्र विकल्प, काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियों और बेरोजगारी से सुरक्षा का अधिकार है।
2. हर किसी को बिना किसी भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है।
3. काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए मानवीय गरिमा के योग्य अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए उचित और

पर्याप्त पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, जिसे यदि आवश्यक हो तो सामाजिक सुरक्षा के अन्य माध्यमों से भी पूरक किया जा सकता है।

4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24: आराम और मनोरंजन का अधिकार:-

हर किसी को आराम और मनोरंजन का अधिकार है, जिसमें हमारे काम के घंटों और वेतन की उचित सीमा के साथ आवधिक छुट्टियां भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 25: पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार:-

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं, और बेरोजगारी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। , बीमारी, विकलांगता, विधवापन, बुढ़ापा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण आजीविका की कमी।
2. माँ और बच्चे को विशेष देखभाल और समर्थन की आवश्यकता है। सभी बच्चे, चाहे वे विवाह से पैदा हुए हों या विवाह से बाहर, समान सामाजिक सुरक्षा का आनंद लेंगे।

अनुच्छेद 26: शिक्षा का अधिकार:-

1. हर किसी को शिक्षा का अधिकार है. कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आम तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी और उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी के लिए समान रूप से सुलभ होगी।
2. शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। यह सभी देशों, जातीय या धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता और मित्रता को बढ़ावा देगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा।
3. माता-पिता को अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार चुनने का पहला अधिकार है।

अनुच्छेद 27: सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन का अधिकार:-

1. प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कला का आनंद लेने और वैज्ञानिक प्रगति और उसके लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उत्पादन से उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा का अधिकार है, जिसका वह लेखक है।

अनुच्छेद 28: स्वतंत्र और निष्पक्ष विश्व का अधिकार:-

हर कोई एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में निर्धारित अधिकारों और स्वतंत्रता को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29: अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य:-

1. प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव हो सके।
2. अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रयोग में, हर कोई केवल उन सीमाओं के अधीन होगा जो कानून द्वारा केवल दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की मान्यता और सम्मान के उद्देश्य से और नैतिकता की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित हैं। लोकतांत्रिक समाज। सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण।
3. इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 30: अधिकार अहस्तांतरणीय हैं:-

इस घोषणा में किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी भी गतिविधि में शामिल होने या यहां दिए गए किसी भी अधिकार और स्वतंत्रता को नष्ट करने के इरादे से कोई कार्य करने के लिए अधिकृत करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।



भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन IHRSO



पूरे भारत में
सक्रिय संगठन

मानव अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा और न्याय के लिए समर्पित



भारत सरकार द्वारा

मान्यता प्राप्त



जुड़े और सदस्य बनें।



समाज सेवा में अपना
योगदान दें।



Women Cell Department (IHRSO)

महिलाओं के अधिकार | सुरक्षा | सशक्तिकरण | सम्मान

Run By BSSF Trust
Regd. By Government Of India



महिला अधिकारों
की रक्षा



सुरक्षा और
संरक्षण



जागरूकता
और प्रशिक्षण



न्याय और कानूनी
सहायता



सशक्त महिला
सशक्त समाज



आज ही जुड़ें!

सदस्य बनें और मानवता की सेवा
में अपना सहयोग दें।



मानवता
हमारी पहचान



सेवा
हमारा धर्म



न्याय
हमारा लक्ष्य



एकता
हमारी शक्ति

FOLLOW US ON:



+91 6388683624



ihrsorganization@gmail.com

IHRSO – मानवता की सेवा, हमारा संकल्प, हमारा धर्म।



जय हिंद !! सत्यमेव जयते !! जय भारत

भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन (BSSF)

All India - Human Rights Service Organization



★ ★ ★ Against Crime & Corruption ★ ★ ★

~ ₹499 की सदस्यता लेने के लाभ ~

All India Vaild ID Card Active member.

- 01** Digital ID Card प्रदान किया जायेगा।
- 02** Digital Certificate
- 03** Digital appointment Letter
- 04** संस्था में अपनी कोई शिकायत दर्ज करा पायेंगे।
- 05** किसी अन्य की मदद के लिए संस्था का सहयोग ले पायेंगे।
- 06** किसी अन्य को संस्था में जोड़कर सदस्य बना पायेंगे।
- 07** संस्था के बैठक/कार्यशाला में शामिल हो पायेंगे।
- 08** WhatsApp Groups का उपयोग कर पायेंगे।
- 09** किसी मामले में कानूनी परामर्श ले पायेंगे।

हमारी सुविधाएँ (Documents)

DIGITAL ID CARD	DIGITAL CERTIFICATE	APPOINTMENT LETTER

सदस्यता शुल्क
₹499/-

BENEFITS (Digital Only)

आपको यह सभी डॉक्यूमेंट Digital रूप में भेजे जाएंगे।



Note: Digital ID Card केवल आपके WhatsApp पर भेजा जाएगा जिसका Print निकालकर Use कर सकते है।

प्रीमियम सदस्यता शुल्क
₹999/-

BENEFITS (Hard Copy)

₹999 की सदस्यता लेने पर आपको सभी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर भेजी जाएगी।



By Courier

~ सदस्यता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया ~

	+		+		+	
Aadhar Card		1 Passport Size Photo		Email ID		Mobile Number

2) Chat with us on WhatsApp:

+91 6388683624

Helpline No.

मानव अधिकार हमारा अधिकार	न्याय हमारा लक्ष्य सेवा हमारा धर्म	भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई	आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्यनिष्ठा शपथ अभियान

INDIAN HUMAN RIGHTS SERVICE ORGANIZATION



भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन

के माध्यम से मैं यह शपथ लेता हूँ / लेती हूँ कि :

- ★ न कभी रिश्तत दूँगा / दूँगी और न कभी रिश्तत लूँगा/लूँगी।
- ★ भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता के लिए कार्य करूँगा/करूँगी।
- ★ किसी भी भ्रष्टाचार की घटना का पता चलते ही सम्बन्धित एजेंसी को उसकी सूचना दूँगा/दूँगी।
- ★ मैं सदैव संवैधानिक कानून का पालन करूँगा /करूँगी।
- ★ मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी एवं पारदर्शिता से करूँगा/करूँगी।
- ★ मैं हमेशा मानव जनहित के लिए कार्य करूँगा/करूँगी।

सदस्य बनने के लिए संपर्क करें -6388683624